106

29

राजस्थान सरकार
कार्मिक(क–5)विभाग

सं0प09(8)कार्मिक/क–5/90 जयपुर, दिनांक 27/7/2011

1–समस्त विभागाध्यक्ष (जिला कलेक्टर्स सहित)
2–समस्त सम्भागीय आयुक्त।

परिपत्र

विषयः–विशेष पिछड़ा वर्ग के लिए राज्य सरकार के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों में तथा राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों में आरक्षण हेतु जाति प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में स्पष्टीकरण।

आपका ध्यान इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 22.09.2009 की ओर आकर्षित किया जाता है जिसके द्वारा राज्य के विशेष पिछडा वर्ग के व्यक्तियों हेतु उनके विशेष पिछडा वर्ग के होने तथा क्रिमिलियर (सम्पन्न वर्ग) के नहीं होने के प्रमाण पत्र जारी करने हेतु निर्देश जारी किये गये है।

राज्य सरकार के ध्यान में यह आया है कि उक्त आदेश के परिप्रेक्ष्य में विशेष पिछडा वर्ग के लिये राज्य सरकार के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों में तथा राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों में आरक्षण हेतु प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा एस.बी.सी. के होने का जाति प्रमाण पत्र जारी नही किया जा रहा है।

इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति द्वारा एस.बी.सी. होने संबंधी प्रमाण पत्र हेतु आवेदन किया जाता है तो उसे निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत एस.बी.सी. होने का जाति प्रमाण पत्र जारी किया जावें।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने हेतु अपने अधीनस्थ प्राधिकृत अधिकारियों को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

27/7/11
(खेमराज)
प्रमुख शासन सचिव